न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी कुशल कुमार कोठारी आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 03/2017

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर		1. महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री जैठमल जैन उम्र-30 वर्ष **(एफबीओ/मालिक)** फर्म मै.निर्मल कुमार जैन, महादेव मार्केट, भोपालगढ जिला जोधपुर निवासी-राईका बाग, बस स्टेण्ड भोपालगढ जिला जोधपुर 2. लेखराज भूत पुत्र श्री चिमनीराम भूत, उम्र-60 वर्ष (**निर्माता/मालिक**) फर्म मै. लेखराज चिमनीराम भूत, जटियों का पुराना बास, गंगाबाई मन्दिर के पास, बाड़मेर निवासी-खत्रियों का निचला बास, बाड़मेर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थिति:- 1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जुगलकिशोर उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 21.12.2017

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.03.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग मैसर्स निर्मल कुमार जैन महादेव मार्केट, भोपालगढ जिला जोधपुर पर पहुंच कर निरीक्षण करने पर श्री महेन्द्रकुमार जैन पुत्र श्री जेठमल जैन, उम्र 30 वर्ष (एफबीओ/मालिक), निवासी राईकाबाग, बस स्टेण्ड भोपालगढ जिला जोधपुर उपस्थित मिले जो आम जनता को उपयोग हेतु किराणा सामान एवं सुपारी (मिनाक्षी) आदि का विक्रय कर रहे थे। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जो इन्होने पेश किया एवं स्वयं का पहचान पत्र पेश किया। दुकान का निरीक्षण करने पर **सुपारी (मिनाक्षी)** एक कट्टे में 20 पाउच प्रत्येक 140 ग्राम के आम जनता को विक्रय हेतु थे। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर/मिथ्या छाप का शक होने पर इसकी जांच एफ.एस.एस.एक्ट के तहत कराने हेतु रूबरू गवाहों श्री महेन्द्रनाथ पुत्र श्री नथमल, निवासी जटिया का बास, भोपालगढ जिला जोधपुर एवं साथ गये श्री रजनीश शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर देकर रसीद प्राप्त की एवं विक्रेता को रूपये 1360/- नगद देकर **सुपारी (मिनाक्षी)** के 16 पाउच प्रत्येक 140 ग्राम वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं।

उक्त खरीदशुदा **सुपारी (मिनाक्षी)** के 16 पैकेटस को चार बराबर-बराबर (प्रत्येक मे 4 पैकेटस) हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर **एम-1046** खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। प्रत्येक मूल पैकेट को अलग-अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एम-1046** हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई गयी एंव चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना **एम-1046** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की। जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 11.03.2016 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि चारों नमूनों को अलग अलग भागों में **एम-1046** की जांच कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट फॉर्म बी संख्या एलएस/248/एक्ट/2016/280 दिनांक 21.03.2016 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जांच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **सुपारी (मिनाक्षी)** का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने पर **असुरक्षित खाद्य (Unsafe Food)** होना पाया गया। खाद्य निर्माता श्री लेखराज चिमनीराम बाड़मेर के आवेदन एवं फार्म VIII अपील पर अभिहित अधिकारी जोधपुर द्वारा उक्त नमूने का द्वितीय भाग निदेशक, रेफरेल फूड लेबोरेट्री पूणे को पुन: जांच हेतु भिजवाने पर उनकी जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट संख्या CFL/DO/20/17/121/2017 दिनांक 31.01.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **सुपारी (मिनाक्षी)** का नमूना **मिथ्या छाप (Misbranded)** होना पाया गया। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन पाये जाने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश मूल, गजट नोटिफिकेशन, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, प्रपत्र 5ए, नमूना खरीद की रसीद व मौका फर्द मूल, एफएसएसए के तहत खाद्य अनुज्ञा पत्र संख्या 22214074001300, श्री महेन्द्रनाथ का पहचान पत्र (वोटर आईडी व आधार कार्ड) की प्रति, नमूना संख्या एम-1046 एवं सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद (प्रारूप VI के पीछे), नमूना संख्या एम-1046 के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सिल्ड भाग की प्राप्ति रसीद, अप्रर्थी महेन्द्र कुमार जैन को सुपारी खरीद बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया पत्र, अभिहित अधिकारी को जमा जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 69113-14, जांच रिपोर्ट फार्म बी एलएस/248/एक्ट/2016/280, महेन्द्र कुमार जैन का सुपारी (मिनाक्षी) की खरीद हेतु शपथ पत्र, मैसर्स लेखराज चिमनीराम

बाड़मेर से खरीद के बिल की प्रति, मै. लेखराज चिमनीराम बाड़मेर को अनुसंधान हेतु फर्म के दस्तावेज भिजवाने हेतु लिखा पत्र व उनके द्वारा दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने का पत्र, मै. लेखराज चिमनरीराम का एफएसएसए के तहत खाद्य अनुज्ञा पत्र संख्या 12215014000109, वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी वेट-03 प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, श्री लेखराज का पहचान पत्र (आधार कार्ड), मैसर्स लेखराज चिमनीराम बाड़मेर का एफएसएसआई प्रमाण पत्र व वेट-03 प्रमाण पत्र, मैसर्स लेखराज चिमनीराम बाड़मेर का खरीद बिल, श्री लेखराज द्वारा रेफरल लैब से जांच हेतु प्रार्थना पत्र, अपील फार्म- VIII, डिमाण्ड ड्राफ्ट नमूना प्रेषण करने की पोस्टल रसीदे, मेमोरेण्डम डाइरेक्टर रेफरेल लेब पूणे, रेफरेल लेब पूणे का अग्रेषण पत्र संख्या 2746-49, जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट संख्या CFL/DO/20/17/121/2017, अप्रार्थीगण को नमूना मिथ्या छाप होने होने की जांच रिपोर्ट भिजवाने का पत्र प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 28.02.17 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने पर अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 26.09.17 को उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में बताया कि सुपारी (मिनाक्षी) का निर्माता अप्रार्थी संख्या 2 है तथा वह एक फूटकर व्यापारी है। उसने अप्रार्थी संख्या 2 से पैंकिग माल खरीदा है व खरीदने की रसीद भी पेश की है तथा उसने उक्त माल में किसी भी तरह से फेर-बदल नहीं किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने अपने जवाब में बताया कि निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से सेम्पल लिया गया था इस हेतु जवाब देहिन्दा अप्रार्थी संख्या 1 है। सुपारी (मिनाक्षी) के पैकेट के जो सेम्पल भरा गया व किस तरह से मिथ्या छाप है यह परिवाद में नहीं लिखा है तथा न्यायालय में ऐसा कोई सेम्पल का फोटो या सेम्पल पेश नहीं किया गया है। इसके अलावा जो भी बिल व प्रमाण पत्र की मांग की गयी वह उपलब्ध करवा दिये गये थे। अत: अप्रार्थीगण द्वारा परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन करने पर धारा 52 के तहत दोषी है। अत: अप्रार्थीगण पर शास्ति रूपये **5,000/- (अक्षरे रूपये पाँच हजार मात्र)** आरोपित की जाती है, अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 21.12.2017 के एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करे। निर्णय की प्रति समस्त संबंधित को भिजवायी जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 21.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुशल कुमार कोठारी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जोधपुर